अनुदान संख्या 53 – पुलिस
GRANT No. 53–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*3,89,00*	*3,93,00*	*2,82,44*	*–1,10,56*
पूरक	*Supplementary*	*4,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*64,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	16519,82,00	21659,71,00	20775,72,73	–883,98,27
पूरक	Supplementary	5139,89,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				794,07,37
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*7,05,00*	*7,85,00*	*6,74,64*	*–1,10,36*
पूरक	*Supplementary*	*80,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*21,80*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	5344,49,00	5344,51,00	3118,99,69	–2225,51,31
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2022,78,85

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''पुलिस'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (88398.27 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 513989.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2055" – "Police".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.88398.27 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grants of Rs.513989.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	1541162.00			
पू.	S.	509980.00	1937835.63	1931216.57	–6619.06
पु.	R.	–113306.37			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	109500.00			
पू.	S.	4009.00	147408.00	145036.16	–2371.84
पु.	R.	33899.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो'' - 1340.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52.00 लाख रु. का

(I) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Research – Bureau of Police Research and Development"- the original provision of

पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1392.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दैनिक मजदूर काम पर रखे जाने, उपस्करों की खरीद के लिए निविदा जारी किए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 481.02 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - न्यायिक विज्ञान निदेशालय'' - 223.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 247.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, कम दौरे किए जाने, कम दैनिक मजदूर काम पर रखे जाने और स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन देरी से प्राप्त होने के कारण 81.54 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - आंसू गैस सामग्री की खरीद, विनिर्माण और वितरण'' - 898.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 998.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, मशीनरी और उपस्करों की पूर्ति के मूर्त रूप न लेने के कारण 121.05 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' -

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 1208.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 458.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1666.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, लेखन सामग्री मदों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण 235.80 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.1340.00 lakhs was augmented to Rs.1392.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.481.02 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards advertising and publicity, hiring of less daily wagers, non-finalisation of the tender floated for purchase of equipments and economy measures.

(B) "Criminal Investigation and Vigilance – Directorate of Forensic Science" - the original provision of Rs.223.00 lakhs was augmented to Rs.247.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.81.54 lakhs (including supplementary grant) - due to less tours undertaken, hiring of less daily wagers and late receipt of approval from Standing Finance Committee.

(C) "Other Expenditure – Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - the original provision of Rs.898.00 lakhs was augmented to Rs.998.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.121.05 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of supply of machinery and equipments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Criminal Investigation and Vigilance"-

(a) "Central Forensic Science Laboratory"- the original provision of Rs.1208.00 lakhs was augmented to Rs.1666.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.458.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.235.80 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for purchase of stationery items and less foreign tours undertaken.

(ख) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 495.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 595.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और मशीनरी और उपस्करों की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 95.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Government Examiner of Questioned Documents"- the original provision of Rs.495.00 lakhs was augmented to Rs.595.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.95.77 lakhs – due to requirement of less funds towards salary and non-finalisation of proposal for purchase of machinery and equipments.

(खा) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना'' - 403751.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 141587.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 545338.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो हथियार और गोला बारूद, मुद्रण सामग्री और मशीनरी और उपस्कर की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और मोटर वाहन दुर्घटना दावे अधिकरण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 27124.78 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Central Reserve Police – Establishment" – the original provision of Rs.403751.00 lakhs was augmented to Rs.545338.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.141587.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.27124.78 lakhs- due to non-finalisation of proposal for purchase of arms and ammunition, printing material and machinery and equipment, non-filling up of vacant posts and non-finalisation of Motor Accidents Claims Tribunal cases.

(गा) ''असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन'' - 125604.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 41295.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 166899.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे वेतन आयोग के बकाया को अंतिम रूप न दिए जाने, पूर्तिकार द्वारा हथियार और गोला बारूद की पूर्ति न किए जाने और हथियार और गोला बारूद तथा कपड़े के तम्बू की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 4750.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Assam Rifles – Establishment and Administration" - the original provision of Rs.125604.00 lakhs was augmented to Rs.166899.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.41295.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4750.83 lakhs -due to non-finalisation of arrear of 6th Pay Commission, non-supply of the arms and ammunitions by the supplier and non-finalisation of proposal for purchase of arms and ammunition and clothing tentage.

(घा) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय'' - 383169.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 141277.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 524446.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने, शस्त्र और गोली बारूद, कपड़े और तम्बू की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, पूर्ति आदेशों के मूर्त रूप न लेने और मोटर वाहन दुर्घटना दावे अधिकरण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और दैनिक मजदूरों को कम संख्या में काम पर रखे जाने के कारण 29653.84 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" - the original provision of Rs.383169.00 lakhs was augmented to Rs.524446.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.141277.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.29653.84 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for purchase of arms & amunitions, clothing & tentage, non-materialisation of supply orders, non-finalisation of Motor Accidents Claims Tribunal cases and hiring of less number of daily wages.

(ङ) ''औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन'' - 148352.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 65500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 213852.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने, पूर्ति आदेशों के मूर्त रूप न लेने, कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 3232.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) "Industrial Security Force – Direction and Administration" - the original provision of Rs.148352.00 lakhs was augmented to Rs.213852.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.65500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.3232.46 lakhs -due to non-filling up of vacant posts, non-materialization of supply orders, receipt of less claims and economy measures.

(चा) ''बेतार और कंप्यूटर'' -

(F) "Wireless and Computers" –

(क) ''अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम'' - 3352.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 907.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4259.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 164.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) Inter-State Police Wireless Scheme" - the original provision of Rs.3352.00 lakhs was augmented to Rs.4259.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.907.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.164.95 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(ख) ''राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो'' - 912.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 604.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1516.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और मुद्रण सामग्री के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 478.14 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "National Crime Records Bureau" - the original provision of Rs.912.00 lakhs was augmented to Rs.1516.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.604.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.478.14 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposal for printing material.

(छा) ''दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन'' - 148439.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52640.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 201079.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने,मानक प्रपत्रों के मुद्रण के लिए सरकारी प्रेस से कम बिलों के प्राप्त होने और प्रस्ताव को अगले वित्त वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने के कारण 5780.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) "Delhi Police – Direction and Administration" - the original provision of Rs.148439.00 lakhs was augmented to Rs.201079.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52640.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5780.86 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less bills from Government press for printing of standard forms and deferment of proposal for the next financial year.

(जा) ''सशस्त्र सीमा बल - स्थापना'' - 86170.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 35550.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 121720.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो हथियार और गोला बारूद, मशीनरी और उपस्कर

(H) "Sashastra Seema Bal – Establishment" - the original provision of Rs.86170.00 lakhs was augmented to Rs.121720.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.35550.00 lakhs which,

की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, मंडल आयोजकों/एपीओ को छठे वेतन आयोग के बकाया की अदायगी न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 16832.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

however, remained unutilised to the extent of Rs.16832.73 lakhs -due to non-finalisation of proposal for purchase of arms and ammunition, machinery and equipments, non-filling up of vacant posts, non-payment of 6th Pay Commission arrears to Circle Organizers/APOs and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 110.08 लाख रु. की बचत (542.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Education and Training - National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of Rs.110.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.542.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) ''विशेष पुलिस - सीमा जांच चौकियां'' - 1594.59 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असम सरकार से प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Special Police – Border Check Posts" – saving of Rs.1594.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from the Government of Assam.

(गा) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण'' -

(क) ''राज्य पुलिस संगठन को वस्तु रूप में सहायता'' - 4549.26 लाख रु. की बचत (58883.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कतिपय राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता'' - 1446.82 लाख रु. की बचत (12240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली पुलिस के लिए भूमि और तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Modernisation of Police Force"-

(a) "Assistance to State Police Organisation in kind" - saving of Rs.4549.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58883.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from certain State Governments.

(b) "Assistance to Delhi Police for Modernization" - saving of Rs.1446.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12240.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of land and ready built flats for Delhi Police.

(घा) ''दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस में अद्यतन प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन'' - 2973.89 लाख रु. की बचत (3350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली पुलिस के लिए प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) "Delhi Police – Induction of Latest technology in Delhi Police" - saving of Rs.2973.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3350.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for procurement of Technology for Delhi Police.

(ङ) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 392.12 लाख रु. की बचत (4435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत और रख रखाव संबंधी कार्य के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सीमा पर फ्लड लाइटों के मरम्मत संबंधी संविदाकारों के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अपराध और आपराधिक नेटवर्क प्रणाली'' - 20750.00 लाख रु. की बचत (21000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल से स्कीम को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - भारत रिजर्व बटालियन'' के अंतर्गत 326.75 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 77.75 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (29671.77 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 510588.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस'' - 1471.77 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 798.49 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - राज्यों को विशेष सहायता'' - 28200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 27587.23 लाख रु. था।

(E) "Other Expenditure" -

(a) "Indo-Pak Border Works" - saving of Rs.392.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4435.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for repair and maintenance work and non-receipt of contractors' bills for maintenance of flood lights at border from Central Public Works Department.

(b) "Crime & Criminal Net Work System" - saving of Rs.20750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for scheme from the Cabinet.

(IV) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants - Police-Other Grants – India Reserve Battalions" - saving of Rs.326.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for reimbursement from State Governments.

(V) Under one head saving of Rs.77.75 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.29671.77 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.510588.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police"- Rs.1471.77 lakhs. Actual excess, however, was Rs.798.49 lakhs.

(B) Major Head "3601"-"Non-Plan Grants - Police – Other Grants - Special Assistance to States" – Rs.28200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.27587.23 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''शिक्षा और प्रशिक्षण - उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी'' - 303.67 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और अन्य भत्तों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' - 3937.76 लाख रु. का अधिक व्यय (57500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित व्यय की अधिकतम सीमा को पूरा करने की स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''पुलिस - अन्य अनुदान - बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 329.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाममंथी अतिवादी राज्यों में भारत रिजर्व बटालियनों की तैनाती के लिए नागालैंड की सरकार को बिलों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 84.46 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (110.36 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 80.00 लाख रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 14 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055"- "Education and Training – North Eastern Police Academy" – excess of Rs.303.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of salary and other allowances.

(B) Major Head "3601"- "Non-Plan Grants"-

(a) "Police – Modernisation of Police Force-Strengthening of State Police Organisations" – excess of Rs.3937.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.57500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for the scheme to cover the ceiling of expenditure fixed by the Cabinet.

(b) "Police – Other Grants - Reimbursement to States for deployment of Battalions" – excess of Rs.329.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of bills to Government of Nagaland for deployment of India Reserve Battalions in Left Wing Extremists States.

(III) Under one head excess of Rs.84.46 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

4 In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.110.36 lakhs) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.80.00 lakhs* obtained in October, 2008 and constituted 14 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4055'' *पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय*	Major Head "4055" *Capital Outlay on Police*				
मू.	*O.*	*205.00*			
पू.	*S.*	*80.00*	*263.20*	*174.64*	*–88.56*
पु.	*R.*	*–21.80*			

(I) *22.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* अदालती मामले को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary *appropriation* of *Rs.22.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Research, Education and Training – National Police Academy" – due to non-finalistion of court case.

(II) ''अन्य व्यय - भारत -पाक सीमा निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *58.00 लाख रु.* की निधियां पूरक *विनियोग* प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि जो अदालती मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण *34.74 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under "Other Expenditure – Indo-Pak Border Works" – funds of *Rs.58.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.34.74 lakhs* – due to non-finalisation of court cases.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत *75.00 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 60 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of *Rs.75.00 lakhs* occurred constituting 60 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	526449.00			
पू.	S.	2.00	326472.15	307152.34	–19319.81
पु.	R.	–199978.85			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	8000.00	5700.00	4747.35	–952.65
पु.	R.	–2300.00			

(I) 5716.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 5591.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - आधुनिकीकरण'' - 3700.00 लाख रु. प्रशासनिक कारणों की वजह से वाहनों, मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो'' - 601.00 लाख रु. अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) ''अन्य व्यय - भारत - म्यांमार सीमा निर्माण कार्य'' - 1290.00 लाख रु. उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस'' -

(क) ''रिहायशी भवन'' - 5449.16 लाख रु. की बचत (14500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सामान्य'' - 500.00 लाख रु. की बचत (14300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''असम राइफल्स'' -

(क) ''सामान्य'' - 292.86 लाख रु. की बचत (8775.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तिकार

(I) Provision of Rs.5716.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.5591.00 lakhs accounted for under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police – Modernisation"- Rs.3700.00 lakhs - due to non-finalisation of proposal for procurement of vehicles and machinery and equipments owing to administrative reasons.

(B) "Research, Education and Training – Bureau of Police Research and Development" – Rs.601.00 lakhs - due to non-finalisation of proposal for acquisition of land owing to non-receipt of approval.

(C) "Other Expenditure - Indo-Myanmar Border Works" - Rs.1290.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals for purchase of equipments and slow progress of work.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police"-

(a) "Residential Buildings" - saving of Rs.5449.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14500.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Central Public Works Department and non-materialisation of proposal for purchase of ready built flats.

(b) "General" - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14300.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for procurement of vehicles.

(B) "Assam Rifles" -

(a) "General" - saving of Rs.292.86 lakhs (against the sanctioned provision of

द्वारा ट्रेडमिल ब्रश कटर और इनवर्टरों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

Rs.8775.00 lakhs) was due to non-supply of Treadmil Brush Cutter and Inverters by the supplier.

(ख) ''आधुनिकीकरण'' - 1247.68 लाख रु. की बचत (3725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने और मशीनरी और उपस्करों के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Modernisation" - saving of Rs.1247.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3725.00 lakhs) was due to non-procurement of vehicles and non-finalisation of proposal for machinery and equipments.

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक'' - 2407.90 लाख रु. की बचत (47546.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और मशीनरी और उपस्करों के लिए पूर्ति आदेशों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" - saving of Rs.2407.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.47546.00 lakhs) was due to non-finalisation of rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals and non-materialisation of supply orders for machinery and equipments.

(घा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - आधुनिकीकरण'' - 212.15 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टाटा 2 स्ट्रेचर सूमो एंबुलेंस और हल्के सशस्त्र सेना वाहकों की खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने के कारण हुई।

(D) "National Security Guard – Modernisation" - saving of Rs.212.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to rejection of proposal for purchase of TATA 2 strecher Sumo Ambulance and Light Armed Troops Carriers.

(ङ) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय आपराधिक और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 224.68 लाख रु. की बचत (505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(E) "Research, Education and Training - National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of Rs.224.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.505.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(चा) ''सशस्त्र सीमा बल'' -

(F) "Sashastra Seema Bal" –

(क) ''कार्यालय भवन'' - 257.97 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.257.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of land.

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 5959.38 लाख रु. की बचत (7738.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.5959.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7738.00 lakhs) was due to

में) आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति किए जाने और गुवाहाटी में टाईप-IV के क्वार्टरों की खरीद के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

non-finalisation of proposals under modernization plan, slow progress of work by Central Public Works Department and non-receipt of sanction for purchase of Type IV Quarters at Guwahati.

(ग) ''सीमा जांच चौकियां'' - 256.23 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(c) "Border Out Posts" - saving of Rs.256.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(घ) ''सामान्य'' - 1790.67 लाख रु. की बचत (5495.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा प्रस्तावों और दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(d) "General" - saving of Rs.1790.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5495.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals.

(ङ) ''आधुनिकीकरण'' - 6840.42 लाख रु. की बचत (8317.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(e) "Modernisation" - saving of Rs.6840.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8317.00 lakhs); and

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(G) "Other Expenditure" -

(क) ''समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)'' - 676.11 लाख रु. की बचत (1066.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of Rs.676.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1066.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(ख) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 137.10 लाख रु. की बचत (2022.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of Rs.137.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2022.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for acquisition of land.

(ग) ''भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य'' - 4692.60 लाख रु. की बचत (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 51424.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की

(c) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of Rs.4692.60 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.51424.00 lakhs including token supplementary grant of

तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत-बंगलादेश सीमा पर चालू निर्माण कार्य के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपस्करों की अधिप्राप्ति के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

Rs.1.00 lakh obtained in October, 2008) was due to less requirement of funds for ongoing works at Indo-Bangladesh Border by the Central Public Works Department and non-materialisation of procurement of hi-tech surveillance equipments.

(घ) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 2525.19 लाख रु. की बचत (14980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत-पाक सीमा पर फ्लड लाइटिंग और बाड़ लगाने के कार्य संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(d) "Indo-Pak Border works" - saving of Rs.2525.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14980.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for flood lighting and fencing work at Indo-Pak Border.

(ङ) ''तटीय सुरक्षा'' - 973.37 लाख रु. की बचत (9911.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तटीय सुरक्षा के लिए नावों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(e) "Coastal Security" - saving of Rs.973.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9911.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of boats for coastal security.

(च) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 257.02 लाख रु. की बचत (373.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने कारण हुई।

(f) "Government Examiner of Questioned Documents" - saving of Rs.257.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.373.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for procurement of equipments.

(छ) ''अनुसंधान'' - 190813.17 लाख रु. की बचत (242000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/वित्त मंत्रालय से कुछ उच्च मूल्य को परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(g) "Research" - saving of Rs.190813.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.242000.00 lakhs) was due to non-clearance of some high value projects from Cabinet Committee on Security/Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष ''4552'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4552" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''असम राइफल्स - रिहायशी भवन'' - 2225.65 लाख. की बचत (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारी वर्षा और श्रमिक समस्याओं की वजह से काम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Assam Rifles – Residential Buildings" – saving of Rs.2225.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6500.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to heavy rains and labour problems.

(खा) ''सीमा सुरक्षा बल - रिहायशी भवन'' - 921.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "Border Security Force – Residential Buildings"- saving of Rs.921.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow progress of work by Central Public Works Department.

(गा) ''सशस्त्र सीमा बल - रिहायशी भवन'' - 106.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारी वर्षा होने और प्रशासनिक कारणों की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.24 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 88 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - कार्यालय भवन'' - 3588.43 लाख रु. का अधिक व्यय (10490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''असम राइफल्स'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 1904.94 लाख रु. का अधिक व्यय (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 884.79 लाख रु. का अधिक व्यय (10200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) ''सीमा जांच चौकियां'' - 448.98 लाख रु. का अधिक व्यय (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विलंबित देयताओं को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस'' - 2600.58 लाख रु. का अधिक व्यय (19005.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए सृजित समूह केंद्रों के लिए अनुपयोगी घोषित किए गए के स्थान पर वाहनों तथा मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) "Sashastra Seema Bal – Residential Buildings" - saving of Rs.106.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to heavy rains and administrative reasons.

(IV) Under one head saving of Rs.70.24 lakhs occurred constituting 88 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police – Office Buildings" - excess of Rs.3588.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10490.00 lakhs) was due to requirement of additional fund to clear the claims received from Central Public Works Department for ongoing construction works.

(B) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" – excess of Rs.1904.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" – excess of Rs.884.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10200.00 lakhs); and

(c) "Border Out Posts" – excess of Rs.448.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds to clear the pending liabilities.

(C) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" – excess of Rs.2600.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19005.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of vehicles against the condemnation and machinery and equipments for newly created group centers.

(घा) ''औद्योगिक सुरक्षा बल'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 599.33 लाख रु. का अधिक व्यय (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अरकोनम में एमटी गैराज के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने, एचटी को आरटीसी, अनंतपुर में स्थानांतरित करने और मुंबई में चारदीवार की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 114.97 लाख रु. का अधिक व्यय (1280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्मिकों के लिए कोलकाता में रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''सामान्य'' - 230.75 लाख रु. का अधिक व्यय (1987.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैती में बटालियन के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ङ) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' - 167.42 लाख रु. का अधिक व्यय (640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त संविदाकार के बिलों का समाशोधन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) ''दिल्ली पुलिस'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 142.02 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 498.75 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर - 16, द्वारका, नई दिल्ली में पुलिस आवास परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) "Industrial Security Force"-

(a) "Office Buildings" – excess of Rs.599.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to acquisition of land at Arrkkonam for construction of MT garage, shifting of HT at RTC Anantpur and raising height of compound wall at Mumbai.

(b) "Residential Buildings" – excess of Rs.114.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1280.00 lakhs) was due to acquisition of land for construction of residential buildings for personnel at Kolkatta.

(c) "General" – excess of Rs.230.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1987.20 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of vehicles for battalions at Haiti.

(E) "Research, Education and Training – National Police Academy" – excess of Rs.167.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.640.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear contractor bills received from Central Public Works Department.

(F) "Delhi Police"-

(a) "Office Buildings" – excess of Rs.142.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for ongoing works by the Central Public Works Department.

(b) "Residential Buildings" - excess of Rs.498.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Police Housing Project at Sector-16, Dwarka, New Delhi.

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत-चीन सीमा'' - 135.19 लाख रु. का अधिक व्यय (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुन्श्यारी-मिलन सड़क की वन निकासी प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड की सरकार के वन प्राधिकारियों को अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना'' - 640.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्सौल में एकीकृत जांच चौकियों के लिए भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 127.54 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था।

(G) "Other Expenditure" –

(a) "Indo-China Border" - excess of Rs.135.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to requirement of additonal funds for making payment to Forest Authorities of the Government of Uttarakhand for getting the forest clearance of Munsiary-Milan Road.

(b) "Setting up of Integrated Check Posts" – excess of Rs.640.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of land for Integrated Check Posts at Raxaul.

(II) Under two heads excess of Rs.127.54 lakhs occurred each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 23 percent and 70 percent of the sanctioned provision.